28-12-2022

पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में जाई जाकर उनके जवाब का अवसर समाप्त किया जाता है।

प्रार्थीगण वकील की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पाने हेतु श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है। कि प्रार्थीगण तथा विप्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं पैतृक संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 178 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा [illegible].1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO लिणधरी

हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/165 रकबा 7.4671 हैक्टेयर कुल रकबा 17.0700 हैक्टेयर की भूमि ग्राम सणपा फांटा भोमजी पटवार हल्का सणपा मानजी तहसील सिणधरी में आई हुई है। कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण अपने पूर्वज जीयाराम के विधिक वारिस है जीयाराम के कला, माना व खेमा तीन पुत्र थे खेमाराम ने अपना हिस्सा पूर्व में न्यायालय द्वारा बंटवाडा कर अलग करवा लिया है, अब शेष वादग्रस्त खसरा कला व माना की सामलाती भूमि है। वादग्रस्त खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 178 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/165 रकबा 7.4671 हैक्टेयर कुल रकबा 17.0700 हैक्टेयर की भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के पैतृक एवं संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि मौजा सणपा फांटा भोमजी तहसील सिणधरी में आया हुआ है जिसमें वादीगण प्रत्येक का 1/6–1/6 अर्थात वादीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा है। विवादित भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रद्दोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा दस दिन से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थीगण अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विका[illegible] संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती [illegible] कई परेशानियों एवं दिक्कतों का [illegible] है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

200/2022

आवेदन स्वीकार कर मौजा सणपा फांटा भोमजी पटवार मण्डल सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 178 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/165 रकबा 7.4671 हैक्टेयर कुल रकबा 17.0700 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दंखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थीगण के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थीगण को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जावें।

हमनें प्रार्थीगण के वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं परीक्षण किया, जिसके अनुसार पाया गया कि वादग्रस्त भूमि मौजा सणपा फांटा भोमजी पटवार मण्डल सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 178 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/165 रकबा 7.4671 हैक्टेयर कुल रकबा 17.0700 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं0 1 से 4 की संयुक्त एवं सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें पक्षकारान् के हिस्से भी राजस्व रेकर्ड में खुले हुए है। जंहा तक प्रार्थीगण वकील का तर्क है कि विप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति [illegible] करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग तक [illegible] वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया [illegible] नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान ह[illegible] हिस्सा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान के मध्य विवाद का मुख्य कारण सामलाती भूमि के कब्जे को लेकर है, जंहा तक प्रार्थीगण वकील की दलील है कि जब तक विधिवत बंटवाड़ा नही हो तब तक प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की सामलाती भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:01 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

समान रूप से कब्जा माना जाता है, इस स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ताफैसला मूलवाद के निर्णय तक प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 4 को जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि सणपा फांटा भोमजी पटवार मण्डल सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 177 रकबा 0.0324 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 178 रकबा 2.4755 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 182 रकबा 3.1956 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 304/165 रकबा 7.4671 हैक्टेयर कुल रकबा 17.0700 हैक्टेयर भूमि अवस्थित में पक्षकारान एक–दूसरे के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं दोनों पक्ष राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.01.03 14:12:01 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसला जारी होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी